

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर वन मंडल रीवा के परिक्षेत्र हनुमना के ग्राम सरदमन के वन कक्ष पी.एफ. 399 के रकबा 2.21 हेक्टेयर वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से पत्थर उत्खनन कार्य हेतु- आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: 15.02.2023

स्थान: भोपाल


(अतुल कुमार मिश्रा)
सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)